Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **खेतड़ी जिला झुंझुनूं में श्री मुकेश कुमार रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी खेतड़ी जिला झुंझुनूं को 10,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 04 जून, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मुकेश कुमार रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी खेतड़ी, जिला झुंझुनूं को परिवादी की लकड़ी की गाडी नहीं पकड़ने तथा उसको बिना कोई रोकटोक के चलने देने की एवज में परिवादी से 10,000/- रूपये मंथली के रूप में बतौर रिश्वत की मांग करने तथा मांग के अनुसरण में आज दिनांक 04.06.2025 को परिवादी से 10,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी सीकर ईकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लकड़ी की गाडी को नहीं पकड़ने की एवज में आरोपी श्री मुकेश कुमार रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी खेतड़ी, जिला झुंझुनूं द्वारा 10,000/- रूपये मंथली के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में एसीबी चौकी सीकर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार** के निर्देशन में आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मुकेश कुमार रेन्जर, कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी खेतड़ी, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 10,000/- रूपये मंथली के रूप में बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।